

6/1/23

प्रायली पेश हुई धर्मो वहीन रूप। विद्यार्थीवत् के  
 नोतिम नामीन शुदा धर्म के बाधजुद उप नदी  
 हुआ इतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में  
 लाई जाती है धर्मो वहीन ने वहीन कश्ये का विवेक सिद्ध  
 वहीन धर्मो की वहीन हुनी गई। वहीन पर मन किया।  
 प्रायली का अध्ययन अपासोवन किया गया। जिससे  
 ज्ञात होता है कि धर्मो वहीन का धर्मो पर लीकट  
 करने योग्य है इतः ने खमरवदी विषय अलग ले। विषय  
 जामर शास्त्रिन मिलन किया गया प्रायली फेलन शुमार  
 लीकट वा शिष्य वफाट दो। लेख्या ले मम दो।  
 B. S.

ख  
क

विद्यार्थीवत् के रूप में विद्यार्थी  
 के रूप में विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी  
 के रूप में विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी  
 के रूप में विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी

विद्यार्थीवत् के रूप में विद्यार्थी  
 के रूप में विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी  
 के रूप में विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी  
 के रूप में विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p><b>प्रार्थी</b></p> <p>1. चमना पुत्र वलू जाति-कोली, निवासी-पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p><b>विप्रार्थीगण</b></p> <p>1. केसरा पुत्र कलूडा उर्फ वलूडा 2. शवजी पुत्र कलूडा उर्फ वलूडा 3. मोहन पुत्र कलूडा उर्फ वलूडा 4. अमरा पुत्र कलूडा उर्फ वलूडा 5. केसा पुत्र कलूडा उर्फ वलूडा 6. भोमा पुत्र कलूडा उर्फ वलूडा 7. खानची पत्नि कलूडा उर्फ वलूडा 8. नेनू पत्नि पूनमा 9. बादली पुत्री पुनमा 10. चौथी पुत्री पुनमा 11. हांसी पुत्री पुनमा 12. हरीया पुत्री पुनमा 13. वरजू पुत्री पुनमा जाति-कोली, निवासी-पांचरला, तहसील सेड़वा 14. तहसीलदार सेड़वा</p> <p><b>बनाम</b></p>
--	---

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन संख्या 11/2023

दिनांक : 06/04/2023

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 189/74 रकबा 2.0234 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक भू.अ./2023/533-40

(रामजी भाई कोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा  
दिनांक 06/04/2023

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी चमना पुत्र वलू।
3. विप्रार्थीगण केसरा पुत्र वलूडा उर्फ वलूडा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

(रामजी भाई कोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर**

राजस्व आवेदन सं. 11/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

चमना बनाम केसरा वगैरा

पीठासीन अधिकारी — श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील — श्री श्रीराम विश्नोई

**निर्णय**

दिनांक —


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा सख्या 189/74 रकबा 2.0234 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा सख्या 189/74 रकबा 2.0234 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

  
 (रामजी भाई कलबी)  
 उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
 (SDO) सेड़वा